मॉड्यूल 5

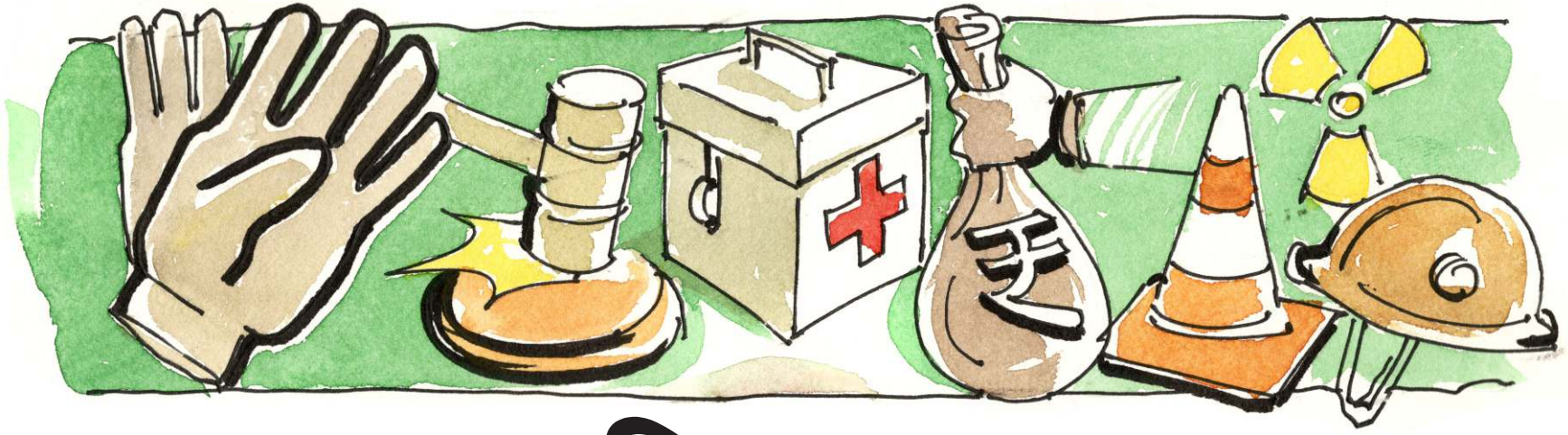

सुरक्षित श्रम

सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)

सुरक्षित श्रम

सेंटर फॉर एजुकेशन ऐण्ड कम्युनिकेशन (सीईसी)
173-ए, खिड़की गांव, मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017
फोन : 91-11-29541841/29541858
फैक्स : 91-11-29542464,
ई-मेल : cec@cec-india.org, **वेबसाइट** : www.cec-india.org

मई 2018

परिकल्पना एवं रचना :
दी इन्फॉर्मेशन ऐण्ड फीचर ट्रस्ट
लक्ष्मी (कैयदम), तोंडयाड, कालीकट - 17
सामग्री निर्माण : **विवेक सिंह**
विजुअल प्रस्तुति : **प्रविण मिश्रा**

यह मॉड्यूल **सीईसी** द्वारा **प्रयास** एवं **टेरे डे होम्स (टीडीएच)** की साझेदारी में और **यूरोपीय यूनियन** की वित्तीय सहायता से चलायी जा रही परियोजना **'एम्पॉवरिंग सीएसओज़ फॉर डीसेंट वर्क ऐण्ड ग्रीन ब्रिक्स इन इंडियाज़ ब्रिक किल्न्स'** के अंतर्गत तैयार किया गया है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा क्या होता है?

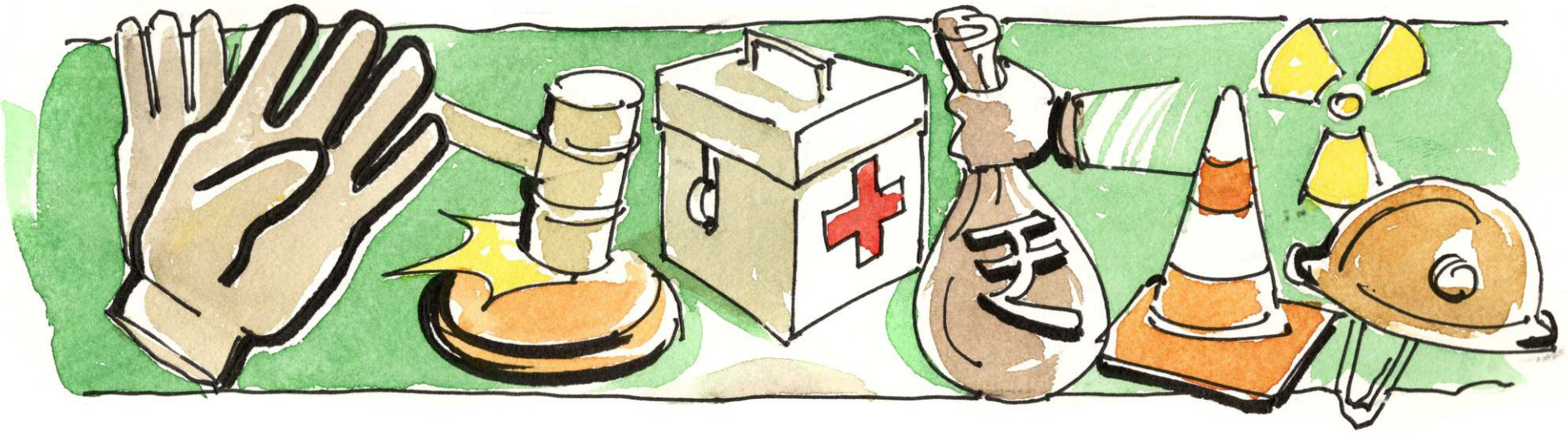

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा क्या होता है?

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का क्या मतलब है?

बहुत सारे उद्योगों और व्यवसायों में मजदूर कई तरह के खतरों और दुर्घटनाओं का सामना करते हैं। ईंट भट्टे, ग्रेनाइट की खदानें, रासायनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियां, टेक्सटाइल मिल, चमड़ा कारखाने और कई दूसरे उद्योगों में मजदूरों को खतरनाक परिस्थितियों में कठोर शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें विषैले पदार्थों, धूल, गर्मी, ऊपर से गिरती वस्तुओं के बीच काम करना होता है जिससे उन्हें गंभीर चोटें आ सकती है। 'व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा' विषय के तहत मजदूरों की सुरक्षा के लिए पैदा होने वाले खतरों का अध्ययन किया जाता है और उनकी रक्षा के लिए जरूरी कदम सुझाए जाते हैं।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का उद्देश्य मोटे तौर पर ये होता है :

- मजदूरों की शारीरिक, मानसिक एवं शारीरिक कुशलक्षेम का ख्याल रखना;

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा क्या होता है?

- कार्य परिस्थितियों के कारण मजदूरों के स्वास्थ्य को पहुंचने वाले नुकसानों की रोकथाम करना;
- कार्यस्थलों एवं कार्य परिस्थितियों को मजदूरों की जरूरतों और सुरक्षा के हिसाब से व्यवस्थित करना

सुरक्षा संबंधी खतरे	स्वास्थ्य संबंधी खतरे
ऐसी कार्य परिस्थितियां जहां खतरा फौरी और बहुत गंभीर हो	ऐसी कार्यपरिस्थितियां जिनकी वजह से बीमारी पैदा हो सकती है
शरीर पर चोट या घाव पैदा होना	खतरनाक रसायनों या दूसरे पदार्थों के लगातार संपर्क में रहने का परिणाम। इसकी वजह से दीर्घकालिक बीमारियां हो सकती हैं या मृत्यु भी हो सकती है।
सुरक्षा संबंधी खतरे मशीनों के खराब रखरखाव या खतरनाक उपकरणों की वजह से पैदा होते हैं।	स्वास्थ्य संबंधी खतरों के कारणों का पता लगाना कठिन होता है क्योंकि उनके संपर्क और बीमारी के लक्षण पैछा होने के बीच काफी लंबा समय बीत जाता है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा क्या होता है?

“व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक सुरक्षा का मतलब एक ही नहीं है। ये दोनों पहलू एक-दूसरे के लिए पूरक की भूमिका निभाते हैं। एक स्वच्छ कार्यस्थल सुरक्षित कार्यस्थल भी होता है मगर एक सुरक्षित कार्यस्थल स्वस्थ कार्यस्थल भी हो, ये जरूरी नहीं है। स्वस्थ कार्यस्थल के लिए सिर्फ दुर्घटनाओं को रोकना ही काफी नहीं होता। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा, दोनों प्रकार के मुद्दों पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।”

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा क्या होता है?

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा क्या होता है?

यह क्यों महत्वपूर्ण है

ईंट भट्टों के मजदूर हर रोज कम से कम १२ घंटे कार्यस्थल पर गुजारते हैं। लिहाजा, ये बहुत जरूरी है कि उनका कार्य वातावरण सुरक्षित और स्वस्थ हो। ईंट भट्टों पर मजदूरों को इन खतरों का सामना करना पड़ता है :

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा क्या होता है?

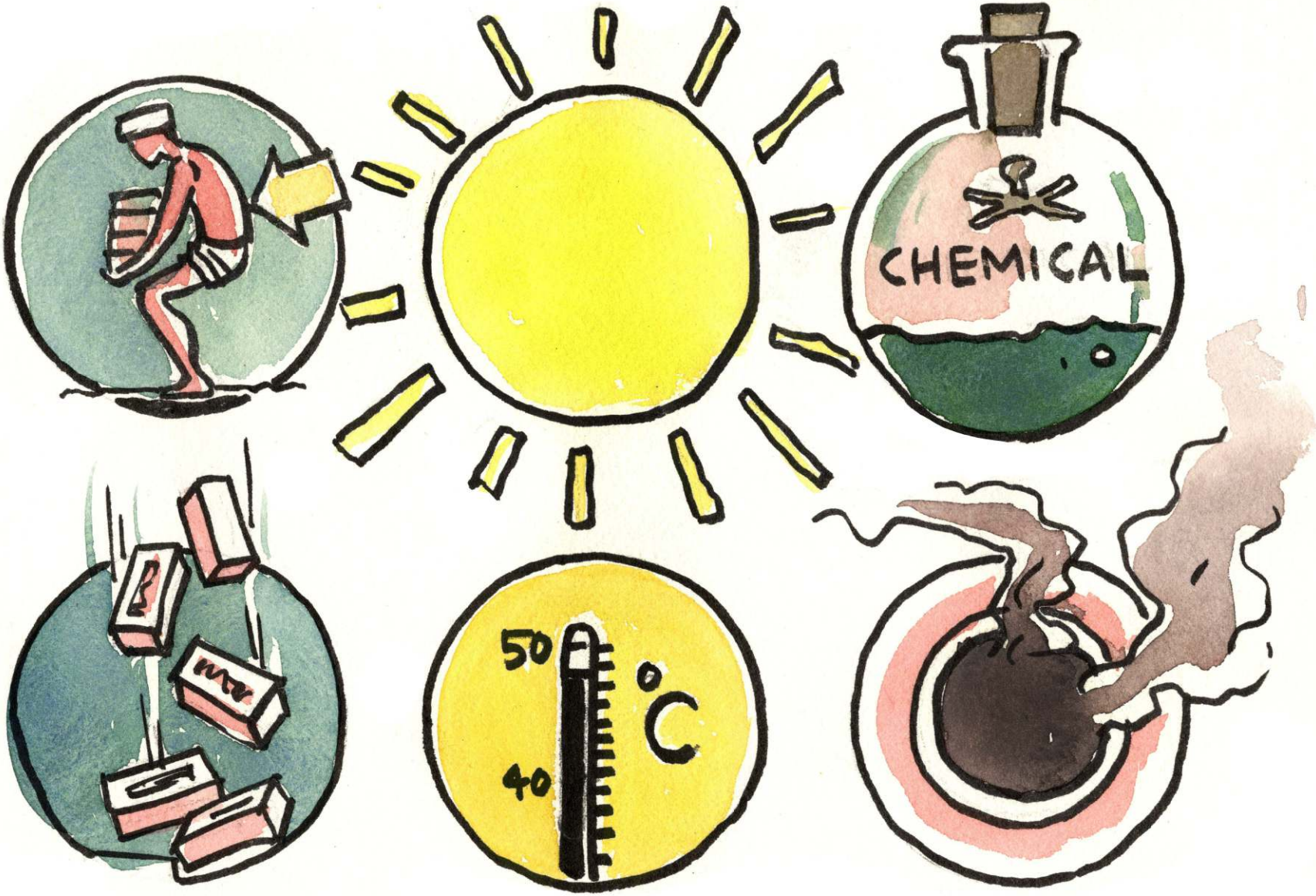

कैसे-कैसे खतरे

कैसे-कैसे खतरे

भट्टों में कई तरह के खतरे होते हैं। उनमें से मुख्य खतरे ये हैं :

- रासायनिक खतरे - जो तरह-तरह के द्रव्यों, ठोस पदार्थों, धूल, धुंध, भाप और गैस वगैरह से पैदा होते हैं।
- भौतिक खतरे - मसलन शोर, कंपन, कम रोशनी और बहुत गर्म तापमान में काम करना;
- जैविक खतरे - जैसे, बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन फैलाने वाला कचरा और इन्फेस्टेशन;
- मनोवैज्ञानिक खतरे - तनाव और थकान से पैदा होने वाले मनोवैज्ञानिक खतरे;
- श्रमिकों के लिए अनुकूल वातावरण न अपनाने के कारण पैदा होने वाले डिजाइन संबंधित खतरे। जैसे, मशीनरी की गलत बनावट, यांत्रिक उपकरणों और मजदूरों के औजारों की गलत बनावट, बैठने या काम करने की जगह का सुविधाजनक न होना वगैरह;
- दैहिक खतरे - कार्यस्थल की आड़ी-टेढ़ी बनावट एक मुख्य समस्या है जिसकी वजह से सीढ़ियों का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, चलने की पगडंडियां सुरक्षित नहीं होतीं और उपकरण नाकाफी या क्षतिग्रस्त होते हैं।

कैसे-कैसे खतरे

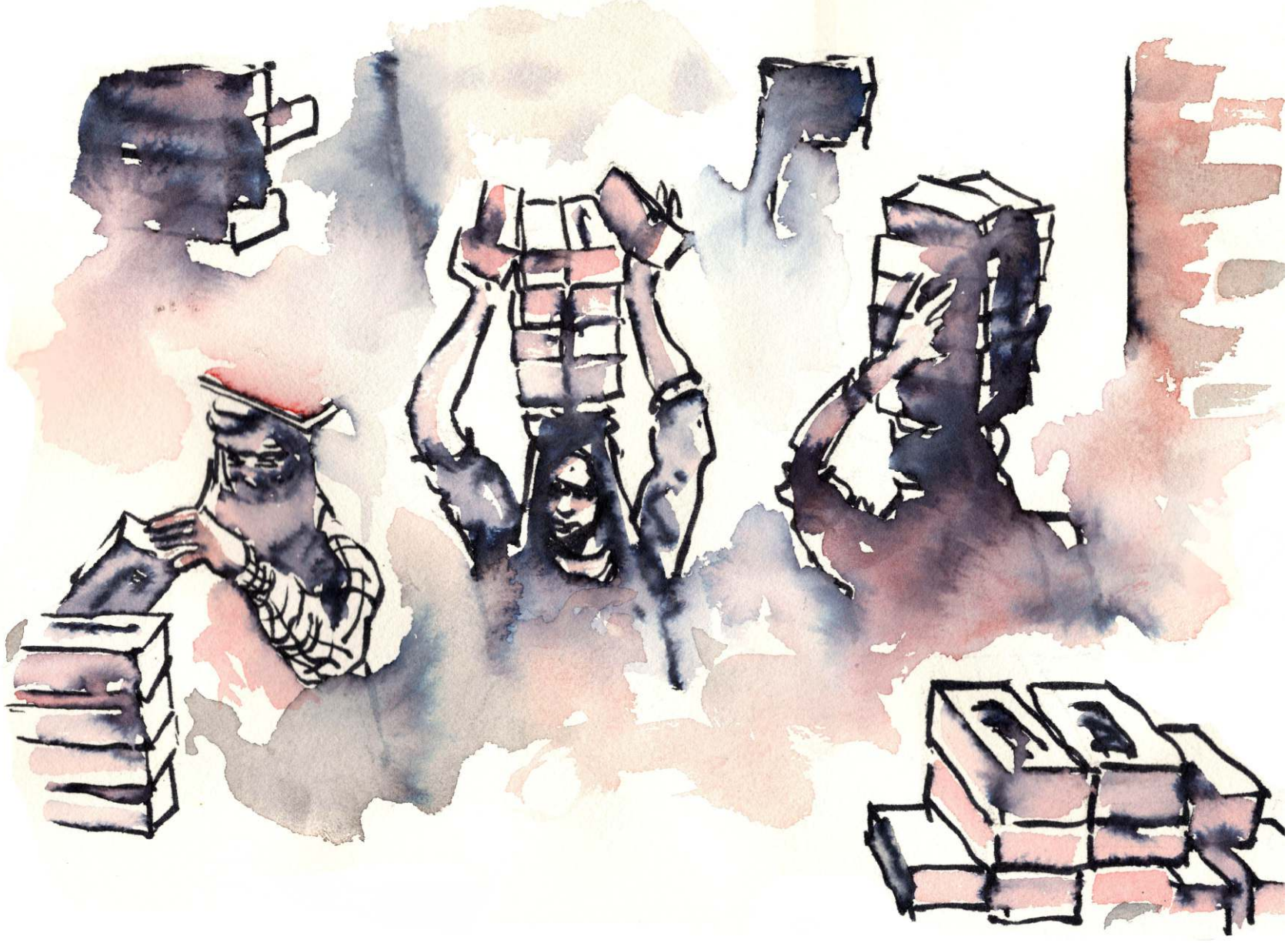

कैसे-कैसे खतरे

भट्टों में काम करने से स्वास्थ्य के लिए पैदा होने वाली समस्याएं

- पीठ पर लगने वाली स्थायी चोटें, थकान, ऐंठन, ऊपरी औश्र निचले भाग की पेशियों को नुकसान
- एलर्जी
- हवा में फैले कणों के कारण फेफड़ों की बीमारियां
- जले हुए चूने या दूसरे क्षारीय कच्चे पदार्थों की वजह से रासायनिक जलन
- श्वास क्षमता में गिरावट, सिलिकॉसिस, तपेदिक सहित न्यूमोकोनियोसिस बीमारियां
- शारीरिक तनाव, गर्मी का तनाव या बहुत तेज तापमान पर काम करने से त्वचा के जल जाने का खतरा
- सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, आर्सेनिक, तांबा, निकिल, कोबाल्ट, मैंगनीज़ या टिन के कणों या धुंध से होने वाली भारी धातुओं का जहरीलापन;

कैसे-कैसे खतरे

- प्रजनन संबंधी समस्याएं
- भट्टों में पेशगी या कर्ज आधारित मजदूरी के कारण पैदा होने वाले तनाव

कार्य संबंधी बीमारियों और दुर्घटनाओं के नतीजे

कार्य संबंधी बीमारियों या दुर्घटनाओं से मजदूरों के लिए बहुत गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं।

इनमें ये समस्याएं प्रमुख हैं :

- आमदनी खत्म हो जाना;
- नौकरी चले जाने की आशंका;
- चोट या बीमारी का दर्द और पीड़ा;
- इलाज की लागत;
- टेम्परेरी या स्थायी विकलांगता

कैसे-कैसे खतरे

कैसे-कैसे खतरे

चिंताजनक मुद्दे

- हमारे देश में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मुख्य चिंताएं ये रहती हैं :
- भट्टों में इस्तेमाल होने वाला कोयला
- भट्टों में प्लास्टिक, टायर आदि चीजों का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल जिन पर पाबंदी लगी हुई है
- ईंटें बनाने की पुराने जमाने की तकनीक
- गैर-कानूनी भट्टे
- काम की लंबी पालियां जिससे ज्यादा देर तक खतरनाक स्थितियों में काम करना पड़ता है
- काम के रोटेशन का नियम न होना और कार्यस्थल का मजदूरों के अनुकूल न होना
- व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरणों और जागरूकता का न होना

कैसे-कैसे खतरे

- कार्यस्थल पर बने क्वार्टर्स की खस्ता हालत। जैसे, बहुत कम ऊंचाई वाली छत, हवा निकासी का इंतजाम न होना।
- मजदूरों के बच्चों के भट्टे में ही रहने से वे भी लगातार खतरे में ही रहते हैं।

“भट्टा मजदूर, खासतौर से झुकइये दिन भर धूप में काम करते हें। वे लगातार घनी धूल में काम करते हैं। इसके अलावा भट्टे से निकलने वाली गैस/धूल और कोयले की झुकाई के समय भी खतरा बढ़ जाता है। इन मजदूरों को आग पर नजर रखनी पड़ती है जिसके लिए वे भट्टे की तपती सतह पर काम करते हैं।

कैसे-कैसे खतरे

कैसे-कैसे खतरे

भट्टों में पैदा होने वाले खतरों को करने के लिए क्या किया जा सकता है?

भट्टों में सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए भट्टा मालिकों, मजदूरों और यूनियनों को मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उन्हें इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि

- कार्यस्थल पर जो भी खतरे पैदा हो रहे हैं, उन्हें तत्काल नियंत्रित किया जाए;
- साल दर साल सभी तरह के एक्सपोजर का रिकॉर्ड दर्ज किया जाए;
- मजदूरों और मालिकों, दोनों को इस बारे में सूचित किया जाए कि कार्यस्थल पर उनके सामने किस तरह के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी खतरे हो सकते हैं।

कैसे-कैसे खतरे

कैसे-कैसे खतरे

“अगर कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम असरदार हों तो मजदूरों के जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसे स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रमों से मजदूरों की हिम्मत और उत्पादनशीलता पर भी अच्छा असर पड़ता है। ऐसे प्रभावी कार्यक्रमों से मालिकों का भी बहुत सारा पैसा बच सकता है।”

खतरनाक व्यवसायों से महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव

खतरनाक व्यवसायों से महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव

व्यावसायिक खतरों से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा असर पड़ता है। भट्टों पर काम करने के अलावा महिलाओं को घर का भी बहुत सारा काम करना पड़ता है जिसका उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। खाना बनाना, घर की साफ-सफाई, बच्चे पैदा करना और उनका पालन-पोषण करना भी महिलाओं की ही जिम्मेदारी मानी जाती है।

काम की लंबी पालियों से उनके शरीर और दिमाग, दोनों पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। कार्यस्थल पर पूरे दिन असुविधाजनक मुद्रा में काम करने से महिलाओं की पेशियों और हड्डियों में दर्द रहने लगता है। जो महिलाएं और बच्चे भट्टों में रोजाना 10 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और लगातार भारी बोझ ढोते हैं, उनके लिए ऐसी स्थायी शारीरिक विकृतियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।

बहुत सारी महिला मजदूर हाथों से ईंट ढोती हैं। लाल पकी हुई ईंटों को वे सिर पर रखकर ढोती हैं। आमतौर पर वे एक बार में 9-12 ईंट लेकर चलती हैं। बार-बार इतना ज्यादा बोझ उठाने से उनके स्वास्थ्य के लिए समस्याएं पैदा होती हैं।

खतरनाक व्यवसायों से महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव

खतरनाक पदार्थों या खतरनाक कार्य परिस्थितियों के एक्सपोजर से प्रसव के पहले या प्रसव के बाद महिलाओं के प्रजनन तंत्र और प्रजनन स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, कच्ची ईंटों को बार-बार पलटना औरतों का काम होता है। इसके लिए वे जमीन पर उकड़ू बैठकर काम करती हैं। लगातार इस मुद्रा में बैठने से न केवल उनकी पीठ में दर्द रहने लगता है बल्कि उनके प्रजनन तंत्र में भी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। व्यावसायिक खतरों से पेट में पल रहे बच्चे या भ्रूण को भी नुकसान पहुंच सकता है और जो शिशु पैदा होता है उसके विकास व शरीर की बनावट को भी नुकसान पहुंच सकता है।

महिला मजदूरों के लिए चिंता की तीन मुख्य बातें

- **सुरक्षा का सवाल**

महिला मजदूरों, खासतौर से रात में, अकेले या अलग-थलग स्थानों पर काम करने वाली महिला मजदूरों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया जाना चाहिए। शौचालय या नहाने की जगह पर भी उनके लिए पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जाना चाहिए।

खतरनाक व्यवसायों से महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव

- **प्रसूति अवकाश (जचगी छुट्टी) का अधिकार**

हमारे कानून में महिला मजदूरों के लिए जचगी के दौरान छुट्टी का प्रावधान किया गया है। इस नियम के तहत महिला मजदूर जचगी के दौरान और बच्चा पैदा होने से ठीक पहले छुट्टी ले सकती है और छुट्टी खत्म होने के बाद वह काम पर लौट सकती है। इस नियम के मुताबिक छुट्टी के कारण उनकी वरिष्ठता और तनख्वाह या मजदूरी पर कोई असर नहीं पड़ता। ट्रेड यूनियनों को ख्याल रखना चाहिए कि भट्टों के मालिक भी जचगी छुट्टी के इस नियम का ईमानदारी से पालन करें।

- **अधिकतम कितना वजन ढोया जाए**

अगर कोई महिला मजदूर अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा वजन ढोती है तो उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सीधा नुकसान पहुंच सकता है। हमारे देश में इस तरह की नीतियां मौजूद हैं जिनमें ये तय किया गया है कि महिला मजदूर अधिकतम कितना वजन ढो सकती है। इन नीतियों को फौरन लागू किया जाना चाहिए।

खतरनाक व्यवसायों से महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव

महिलाओं को भारी वजन ढोने के कारण पैदा होने वाले खतरों से बचाने के लिए फैक्टरी कानून में राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि वे महिलाओं के लिए अधिकतम भार सीमा तय करें। इस मद में उत्तर प्रदेश के अलावा सभी राज्य सरकारों ने फैक्टरियों में काम करने वाली महिला कामगारों के लिए अधिकतम भार की जो सीमा तय की हैं वे इस प्रकार हैं :

वयस्क महिलाएं	30 किलो
किशोरियां	35 किलो
बच्चियां	13 किलो

खतरनाक व्यवसायों से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव

खतरनाक व्यवसायों से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव

व्यावसायिक खतरे और बच्चे

श्रम संबंधी समस्याओं की आशंका वयस्क मजदूरों के मुकाबले बाल मजदूरों के सामने ज्यादा रहती है। व्यावसायिक खतरों और कार्य परिस्थितियों से मजदूरी करने वाले बच्चों के विकास पर स्थायी असर पड़ सकता है।

शारीरिक निहितार्थ

- लंबी पालियों में काम करने से बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति, देखने और सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है
- बच्चों को श्वास रोग, पेशियों व हड्डियों में विकार, कैंसर आदि हो सकता है
- खतरनाक पदार्थों या सामग्री के लगातर संपर्क में रहने से बच्चे स्थायी रूप से विकलांग हो सकते हैं
- उनका बचपन और आजादी का अधिकार छिन जाता है।

खतरनाक व्यवसायों से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव

दिमागी असर

- स्कूल में बच्चों की हाजिरी घट जाती है, वे पढ़ाई छोड़ देते हैं जिसकी वजह से पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और नए कौशल नहीं सीख पाते

मनोवैज्ञानिक और सामाजिक खतरे

- बच्चे अलग-थलग, अवसादग्रस्त और मानसिक विकारों के शिकार हो जाते हैं
- समाज विरोधी लोग खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों का अपने गैर-कानूनी कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

चौकस हो जाएं!

मजदूरों को अकसर इस बात का एहसास नहीं होता कि उनकी बहुत सारी समस्याएं उनके काम की वजह से होती हैं। जब कोई व्यावसायिक बीमारी शुरुआती अवस्था में होती है तब उन्हें इस बात का बिलकुल एहसास नहीं होता।

खतरनाक व्यवसायों से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव

खतरनाक व्यवसायों से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव

इस तरह की समस्याओं को समय पर पकड़ना काफी मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारी व्यावसायिक बीमारियां बहुत लंबे समय बाद उभर कर सामने आती हैं। जब बीमारी के लक्षण कई साल बाद सामने आते हैं तो उनके मूल कारणों को पहचानना आसान नहीं होता। इसके अलावा, बार-बार नौकारी बदलना या धूम्रपान या शराब के सेवन जैसी आदतों से भी कार्यस्थल के खतरों और उनके परिणामस्वरूप पैदा होने वाली बीमारियों को एक-दूसरे के साथ जोड़कर देखना मुश्किल हो जाता है।

मजदूरों को कोशिश करनी चाहिए कि वे :

- किसी व्यावसायिक बीमारी के स्थायी रूप लेने से पहले ही उसके शुरुआती लक्षणों/संकेतों को पहचान लें;
- अपने कार्य वातावरण का अच्छी तरह जायजा लें;
- इस बात पर जोर दें कि भट्टा मालिक खतरनाक बीमारी पैदा होने से पहले जरूरी बदलाव करें ताकि बीमारी पैदा ही न हो।

खतरनाक व्यवसायों से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव

खतरों के असर से बचने के उपाय

खतरनाक व्यवसायों से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव

कार्यस्थल पैदा होने वाले खतरों को कैसे रोकें?

खतरनाक व्यवसायों से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव

भट्ठों में मजदूरों की सुरक्षा के लिए ये नियम बनाए जाएं :

- काम के घंटे तय किए जाएं, जॉब रोटेशन की व्यवस्था की जाए, काम की जगहों को एडजस्ट किया जाए, मजदूरों को निजी सुरक्षा उपकरण दिए जाएं, स्वच्छता का पूरा बंदोबस्त किया जाए, विषैले पदार्थों के लगातार एक्सपोजर को रोकने के लिए पानी की सुविधा दी जाए,
- धूल को रोका जाए, धूल भरे स्थानों पर पानी छिड़का जाए, धूल में काम करने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया जाए,
- जहां आग का इस्तेमाल किया जा रहा है वहां हाथ, चेहरे, पैरों और आंखों को बचाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया जाए तथा आग, गैस और भाप वाले स्थानों पर काम करने के लिए विशेष चश्मे मंगाए जाएं।

फैक्ट्री कानून, 1948

फैक्ट्री कानून, 1948

फैक्ट्री कानून, 1948 में कार्यस्थल पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय ये हैं :

- पीने के पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय और पेशाबघर की व्यवस्था होनी चाहिए और धुलाई के लिए भी उपयुक्त और पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए।
- फर्स्ट एड बॉक्स रखें जाएं और उनमें सभी जरूरी चीजें हों।
- फैक्ट्री कानून के मुख्य नियमों और प्रावधानों को अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में लिखकर भट्टे के मुख्य स्थानों पर चिपकाया जाए।
- नोटिस बोर्ड पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर और प्रमाणपत्र देने वाले सर्जन का नाम और पता भी लिखकर लगाया जाए।
- अगर कोई ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से कोई मजदूर 48 घंटे से ज्यादा समय तक विकलांग रहता है या कोई खतरनाक घटना घटती है या कोई मजदूर व्यावसायिक बीमारी का शिकार बन जाता है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को फौरन सूचित किया जाना चाहिए।

फैक्ट्री कानून, 1948

फैक्ट्री कानून में मालिकों को हुक्म दिया गया है कि कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए समुचित निर्देश, प्रशिक्षण व सुपरविजन का बंदोबस्त करें। ये निर्देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सिद्धातों के अनुरूप हों।

कारखाने का निरीक्षण

फैक्ट्री कानून, 1948 में निरीक्षण/इंस्पेक्शन की एक पूरी व्यवस्था तय की गई। मगर पूरे भारत में इस कानून के क्रियान्वयन की हालत एक जैसी नहीं है क्योंकि लेबर इंस्पेक्शन की व्यवस्था अलग-अलग राज्य सरकारें अपने हिसाब से चलाती हैं।

इस कानून में लेबर इंस्पेक्टरों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी समय, किसी भी कार्यस्थल की चारदीवारी के भीतर जा सकते हैं, वहां के हालात की जांच कर सकते हैं, किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं या इंटरव्यू ले सकते हैं। वे कोई भी रिकॉर्ड, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज मांग सकते हैं या उसकी प्रति/नकल ले सकते हैं, और किसी भी स्थान के फोटोग्राफ ले सकते हैं और अन्य आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

फैक्ट्री कानून, 1948

फैक्ट्री कानून, 1948

लेबर इंस्पेक्टर को इस बात का भी अधिकार दिया गया है कि अगर कारखाने में काई ऐसी वस्तु या पदार्थ है जो किसी के भी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है तो वे उसको नष्ट करें या उसकी जांच करें या उसको कब्जे में ले लें और जब तक वे उसकी जांच से संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक उसको अपनी बरामदगी में रखें।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक नियमवाली (इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रूल्स)

इस नियमावली के अनुसार, ठेकेदार को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए :

- अगर प्रवासी मजदूरों को उनके काम की वजह से किसी तरह की कोई बीमारी होती है या चोट लगती है तो मौके पर ही उनके इलाज के लिए निशुल्क फर्स्ट ऐड सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।
- डॉक्टर का बंदोबस्त किया जाए और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां भी ठेकेदार को अपने पैसे से मंगानी होंगी।
- अगर किसी प्रवासी मजदूर या उसके परिवार वालों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है तो उसकी व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी चाहिए।

कार्यस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानून

भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर (रोजगार एवं सेवा परिस्थिति नियमन) कानून, 1996

भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर (रोजगार एवं सेवा परिस्थिति नियमन) कानून 1996 (बीओसीडब्ल्यू) कानून में संबंधित प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ऐसे कारखानों के लिए काम के घंटे, कल्याणकारी उपायों, मजदूरों के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों, उचित कार्य परिस्थितियों और मजूदरों को ओवर टाइम वेतन के बारे में नियम भी तय किए गए हैं।

इस कानून के तहत मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे कार्यस्थल पर या कार्यस्थल के आसपास अपने सभी निर्माण मजदूरों को अस्थायी आवास निशुल्क मुहैया कराएं। उन्हें वहां पीने के पानी के नल, लैट्रिन और पेशाबघर का भी निर्माण करना होगा।

भवन एवं अन्य निर्माण मजदूर कल्याण उप-कर कानून, 1996 (कल्याण उप-कर कानून)

इस कानून के तहत मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक मजदूर को निर्धारित तारीख को या उसके पहले मजदूरी का पूरा भुगतान कर दें। इसके साथ ही मजदूरों के कल्याण के लिए लेवी

तथा उप-कर वसूलने का भी प्रावधान किया गया है। यह उप-कर निर्माण की कुल लागत का अधिकतम २: और कम से कम १: होना चाहिए।

ईंट भट्टों में असंगठित मजदूरों की बहुतायत को देखते हुए ये खासतौर से जरूरी हो जाता है कि राज्य सरकारें व्यावसायिक मानकों एवं सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए सभी प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से इंस्पेक्शन करें। इस कानून के तहत बनाई गई नियमावलियों के सारे प्रावधानों को लागू करने के लिए ऐसा जरूरी है। इसके अलावा उप-कर निधि से ऐसे मजदूरों के उपचार और पुनर्वास में मदद मिल सकती है जो काम के दौरान घायल हुए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस तरह की योजनाएं लागू भी की हैं। उप-कर निधियों को निर्माण मजदूरों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

कार्यस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानून

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923

कार्यस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानून

श्रमिक मुआवजा कानून (वर्कमेन कॉम्पनसेशन ऐक्ट) पहला ऐसा कानून है जिसमें सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें ऐसे मजदूरों को मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है जो काम के दौरान घायल या बीमार हुए हैं।

इस कानून के तहत मुआवजे का प्रावधान काम के दौरान लगी चोटों के संबंध में मुआवजे तक ही सीमित है। यह मुआवजा वेतन, यात्रा भत्ते या अन्य भुगतानों के बजाय केवल रुपयों में ही दिया जा सकता है।

इस कानून में व्यावसायिक दुर्घटनाओं या बीमारियों की स्थिति में मुआवजें का भी प्रावधान किया गया है जिससे व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रावधानों को बढ़ावा मिले।

कार्यस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानून

मालिक पर मुआवजे की जिम्मेदारी कब आती है?

इस कानून की धारा 3 के मुताबिक मालिक पर मुआवजा अदा करने की जिम्मेदारी तब आती है जब मजदूर :

(1) काम करते हुए घायल हुआ हो, तथा;

(2) काम के घंटों के दौरान (यानी पाली के बीच किसी भी समय) घायल हुआ हो, तथा;

(3) चोट की वजह से विकलांग हो गया हो।

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923 के तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

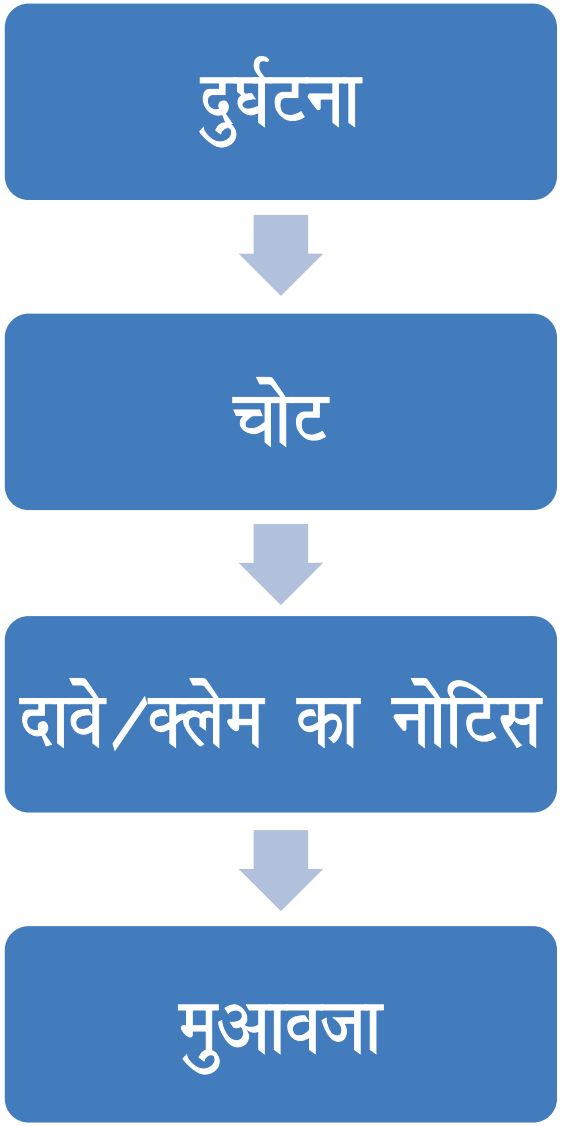

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923 के तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

इस कानून में 'विकलांगता' (डिसेबलमेंट) की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से तय होता है कि नौकरी के दौरान लगी चोट के एवज में मजदूर कितने मुआवजे का दावा कर सकता है। लिहाजा, इस कानून के तहत चार तरह की स्थितियां बताई गई हैं जिनके एवज में मुआवजा मांगा जा सकता है :

1- मृत्यु होने पर

2- स्थायी संपूर्ण विकलांगता : ऐसी विकलांगता जिसकी वजह से मजदूर किसी भी तरह का काम नहीं कर सकता।

3- स्थायी आंशिक विकलांगता : ऐसी विकलांगता जिसकी वजह से मजदूर उस काम को पहले जितना नहीं कर सकता जिस काम को करते हुए उसको चोट लगी थी।

4- अस्थायी विकालंगता : इस तरह की विकालंगता संपूर्ण या आंशिक विकलांगता हो सकती है मगर वह अस्थायी यानी कुछ दिनों में दूर हो जानी चाहिए। इस तरह की अस्थायी विकलांगता से मजदूर कुछ समय तक उस काम को नहीं कर पाता जिसे वह अब तक कर रहा था।

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923 के तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923 के तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

अगर कोई मजदूर किसी 'व्यावसायिक बीमारी' से ग्रस्त हो जाता है तो क्या तब भी मालिक को मुआवजा अदा करना चाहिए?

"व्यावसायिक बीमारी" वह बीमारी होती है जो उस काम की वजह से हुई है जिस काम को मजदूर कर रहा था। यह बीमारी काम के खतरनाक हालात के परिणामस्वरूप हो सकती है। अगर किसी मजदूर को ऐसी कोई बीमारी होती है तो मालिक की जिम्मेदारी है कि वह उसे मुआवजा अदा करे बशर्ते वह मजदूर लगातार ६ महीने तक उसके पास काम कर चुका हो।

इस कानून के अनुसार नौकरी के दौरान हुई व्यावसायिक बीमारी भी 'दुर्घटना' की परिभाषा के तहत आती है। अगर किसी मजदूर को ऐसी बीमारी होती है तो मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रभावित मजदूर को मुआवजा अदा करे। जिन व्यावसायिक बीमारियों के लिए मुआवजा दिया जा रहा है वे उनका ब्यौरा भी इस कानून में दिया गया है। इसके लिए अनुसूची ३ के भाग ए को देखा जाना चाहिए।

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923 के तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923 के तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

व्यावसायिक बीमारी के कुछ उदाहरण ये हो सकते हैं :

- भौतिक, रासायनिक या जैविक पदार्थों के कारण होने वाले त्वचा रोग
- सन, जूट और सुतली की धूल वगैरह के कारण होने वाले श्वास रोग (बायसिनोसिस)
- कार्यस्थल पर इस्तेमाल होने वाले संवेदीकरण पदार्थों के कारण होने वाला व्यावसायिक दमा रोग।

विवाद की स्थिति में सुनवाई की व्यवस्था

अगर कोई मालिक नोटिस जारी करने के बाद दुर्घटना की तारीख के ३० दिन बाद भी मुआवजा अदा नहीं करता है या मालिक और मजदूर के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता है तो मजदूर की तरफ से लेबर दफ्तर में एक अर्जी जमा करा देनी चाहिए। लेबर ऑफिसर के सामने होने वाली सुनवाई अर्द्धन्यायिक किस्म की होती है।

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923 के तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923 के तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

अगर मजदूर को चोट लगी है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह मजदूर के दावे पर तेजी से फैसला दे। मजदूरों के मुआवजे के मामलों में कोई तकनीकी कार्रवाई नहीं की जाती है। मगर, क्योंकि मालिक का पक्ष सुनना भी जरूरी है और मामले की जांच करने की जरूरत भी पड़ सकती है इसलिए कुछ न्यूनतम प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसका जिम्मा श्रम आयुक्त को सौंपा गया है।

हालात के हिसाब से एक प्रभावी तरीका ये हो सकता है कि इस बात का पता लगाया जाए कि कोई फौजदारी शिकायत तो दर्ज नहीं कराई गई। अगर ऐसी शिकायत दर्ज कराई गई है तो कहां और किस स्थिति में दर्ज कराई गई है। आमतौर पर जब मजदूर को दुर्घटना के बाद इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है तो अस्पताल के अधिकारियों की कानूनी जिम्मेदारी है कि वे इस बारे में पुलिस को सूचित करें। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि मालिक ने अपने कार्यस्थल पर काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान न किए हों। इस तरह, वह आपराधिक लापरवाही का दोषी हो सकता है। इस तरीके के दो फायदे होते हैं : अगर आपराधिक कार्रवाई में मालिक का दोष साबित हो जाता है तो इससे मुआवजे की देनदारी तय करने में बहुत मदद मिलती है। दूसरी बात, इससे मालिक पर भी मामले को जल्दी से जल्दी खत्म करने का दबाव पैदा होता है।

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923 के तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

मुआवजे की अर्जी

इस कानून की धारा २२ के तहत लेबर कमिश्नर के दफ्तर में भी आवेदन जमा कराया जा सकता है। लेबर कमिश्नर के दफ्तर में मुआवजे का आवेदन जब तक जमा नहीं कराया जा सकता जब तक कि वह एक निश्चित फॉर्मेट में न लिखा गया हो। यानी, इस आवेदन में निम्नलिखित ब्यौरों को निश्चित ढंग से लिखना जरूरी है :

(क) सामान्य भाषा में इस बात का ब्यौरा दिया जाए कि यह आवेदन लेबर कमिश्नर के दफ्तर में क्यों जमा कराया जा रहा है और आवेदक क्या राहत या फैसला चाहता है।

(ख) अगर मालिक से मुआवजे का दावा किया गया है तो आवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि मालिक को इस दुर्घटना की जानकारी किस तारीख को दी गई थी और अगर उसको जानकारी देने में विलंब हुआ तो उस देरी का कारण क्या था।

(ग) संबंधित पक्षों के नाम और पते।

श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून, 1923 के तहत अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मामलों से जुड़ी सरकारी संस्थाएं

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा कुछ खास उद्योगों से संबंधित मंत्रालय - जैसे ऊर्जा मंत्रालय, खान मंत्रालय आदि - की जिम्मेदारी है कि वे श्रम एवं रोजगार संबंधी कानून और नियम बनाएं तथा उन्हें लागू करें।

भट्टे पर मजदूरों की जरूरतें

1. मजदूरों की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत तो यह है कि मालिक भट्टों में पैदा होने वाली व्यावसायिक खतरों को स्वीकार करें और मजदूरों को इस बात का प्रशिक्षण दें कि वे कैसे अपनी कुशलता बढ़ा सकते हैं और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।

2. मजदूरों को अपने कार्यस्थल पर शौचालय, बाथरूम और पीने के साफ पानी की मांग करनी चहिए। मालिक की तरफ से खानपान का उचित बंदोबस्त और विश्राम के स्थान का बंदोबस्त भी किया जाना चाहिए। ये एक कानूनी प्रावधान भी है।

3. भट्टों में गर्म तापमान की समस्या बहुत ज्यादा होती है। मालिकों को चाहिए कि वे मजदूरों को बीच-बीच में आराम करने की सुविधा दें और मजदूरों को आराम की जगह दें ताकि वे धूप से बच सकें।

4. उनको यह भी ख्याल रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो, कार्यस्थल, मशीनरी, उपकरण और प्रक्रियाएं मजूदरों के लिए किसी भी तरह का स्वास्थ्य जोखिम पैदा न करें।

भट्टे पर मजदूरों की जरूरतें

5. दुर्घटना के खतरे से बचने या स्वास्थ्य को पहुंचने वाले नुकसान से बचने के लिए मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षात्मक परिधान और सुरक्षात्मक उपकरणों की मांग करनी चाहिए।

6. मालिकों की जिम्मेदारी है कि वे भट्टे पर पर्याप्त संख्या में फर्स्टएड के डिब्बे मुहैया कराएं। उन्हें महीने में एक बार भट्टे पर मजदूरों की नियमित जांच के लिए डॉक्टरों को भी बुलाना चाहिए।

7. सरकारों को भट्टों पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि मजदूरों और मालिकों को भट्टों पर पैदा होने वाले खतरों के बारे में जागरूक बनाया जा सके।

मुख्य बातें

दुर्घटनाओं से लेकर विषैली धुंध, धूल, शोर, गर्मी, थकान तक कार्यस्थल से पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के खतरों को व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दायरे में रखा जाता है। दुर्घटना होने पर समस्या को हल करने की बजाय हमें काम से संबंधित बीमारियों और दुर्घटनाओं की रोकथाम पर जोर देना चाहिए।

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का मतलब सिर्फ दुर्घटनाओं को रोकने से नहीं है। इसमें कार्य परिस्थितियों के सारे पहलू आ जाते हैं।

आवश्यक प्रशिक्षण किसी भी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग होता है।

ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर कार्यस्थल पर कई तरह के खतरों से जूझते हैं।

अगर कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम असरदार हो तो विभिन्न प्रकार के खतरों पर अंकुश लगाकर मजदूरों का जीवन बचा सकता है।

एक प्रभावी कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम से मजदूरों के आत्मविश्वास और कार्यकुशलता, दोनों में इजाफा होता है। इससे मालिकों का भी पैसा बचता है।

मुख्य बातें

कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम की सफलता के लिए मालिकों की प्रतिबद्धता और मजदूरों की पूरी सक्रियता बहुत जरूरी होती है।

कार्यस्थल पर पैदा होने वाले खतरों और फलस्वरूप उनके जोखिमों पर अंकुश लगाने के लिए भट्टों पर प्रशासकीय अंकुश, बेहतर तकनीक का बंदोबस्त किया जाना चाहिए और मजदूरों को समुचित निजी सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए जाने चाहिए।

हमने देखा है कि भट्टों पर काम के असुरक्षित हालात की वजह से महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा असर पड़ता है।

भट्टों पर व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फैक्ट्री कानून, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कानून, बीओसीडब्ल्यू कानून और श्रमिक मुआवजा कानून का सहारा लिया जा सकता है।

पीछे हमने लेबर इंस्पेक्शन व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की और बताया कि इस व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग अधिकारी कौन से होते हैं।

अंत में हमने इस बारे में बताया कि मजदूर अपनी सरकार और मालिकों से भट्टों पर अपने लिए क्या मांग कर सकते हैं।

By

BUILDING A WIDER HORIZON
CEC
WITH LABOUR

In partnership with

प्रयास Prayas
www.prayaschittor.org

terre des hommes
Help for Children in Need

Funded By the European Union